न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 84/2020 जिला–सीकर।

पीठासीन अधिकारी–श्री बाबूलाल गोयल।

राजेन्द्र पुत्र श्री मालसिंह जाति राजपूत निवासी मावण्डा कलां, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0।

अपीलान्ट्

बनाम

भूमिधारी जरिये तहसीलदार तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0।

रेस्पोंडेन्ट्

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 11.12.2017 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 395/2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री निर्मल कुमार जैन।
2. रेस्पोंडेन्ट की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 16.08.2021

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 11.12.2017 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 17.03.2020 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा शीर्षक प्रार्थना पत्र धारा 136 एल..आर. एक्ट राजेन्द्र बनाम भूमिधारी में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2017 के द्वारा प्रार्थना पत्र खारीज किया गया।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.12.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.2017 को निरस्त फरमाये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट् की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील भीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि पुराने खसरा नम्बर 671 रकबा 5.41 है0 तन ग्राम मावण्डा कलां, तहसील नीमकाथाना में स्थित है। जिसमें अपीलार्थी जमाबंदी में अंकितानुसार हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार है। नये सेटलमेंट के दौरान भूमि खसरा नम्बर 671 के नये खसरा नम्बर 200 कायम किये गये किन्तु पुराने खसरा नम्बर 671 के रकबे 5.41 है0 के स्थान पर रकबा 2.32 है0 कम दर्ज कर दिया गया। जबकि भूमि का कुल क्षैत्रफल 5.51 है0 रहा है एवं मौके पर भी यही स्थिति है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी (वर्तमान अपीलांट) के प्रार्थना पत्र अप्रार्थी (वर्तमान रेस्पोडेंट) से रिपोर्ट ली तो रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत कर दी गई जो दिनंक 24.03.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के यहां पत्रावली में शामिल की गई जिसकी कतई आवश्यकता नही थी। उक्त रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट दिनांक 30.08.2016 के विपरीत थी। तहसीलदार नीमकाथना द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 30.8.2016 में प्रार्थी (वर्तमान अपीलांट) के प्रार्थना पत्र को सही मानते हुये दुरूस्ती की सिफारिष की थी। प्रार्थी (वर्तमान अपीलांट) का केस स्पष्ट जमाबंदी में रकबा कम करने से संबंधी था किन्तु इसे बिना कारण नक्शे के संबंध में बना दिया गया। प्रार्थी (वर्तमान अपीलांट) की जमाबंदी किस आधार पर कम की गई इस संबंध में कोई भी रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में यह भी कहा है कि खसरा नम्बर 194, 203 से 205 व 209 सिवायचक राज की भूमि है

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

जिसके खातेदारी अधिकार किसी को भी नही दिये जा सकते है। उक्त भूमि आवंटन के आधार पर ही अलॉट की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय का उपरोक्त विवेचन पूर्णतया कानून के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में प्रार्थी (वर्तमान अपीलांट) के पुराने खसरा नम्बर 671 व नये खसरा नम्बर 200 का रकबा बरारी में समान 2.32 है0 बताया है तथा क्षतिपूर्ति की प्रस्तावित भूमि को पडत व उबड खाबड बताते हुये प्रार्थी (वर्तमान अपीलांट) का उस पर कब्जा काश्त होना नही मानते हुये दुरूस्ती से इन्कार किया है। जबकि उक्त प्रस्तावित क्षतिपूर्ति भूमि पर प्रार्थी (वर्तमान अपीलांट) का लगातार कब्जा काश्त है। तहसीलदार ने राजकीय भूमि पर प्रार्थी (वर्तमान अपीलांट) का कब्जा मानते हुये प्रार्थी (वर्तमान अपीलांट) को धारा 91 एलआर एक्ट का नोटिस दिया है। पत्रावली कायम की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी (वर्तमान अपीलांट) का कब्जा काश्त आज तक भी उसकी पूरी भूमि पर है किन्तु सहवन से बिना आदेश के उसकी भूमि कम कर दी गई है जो दुरूस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय 11.12.2017 निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट् ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.12.2017 का है लेकिन अपीलांट् को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 20.02.2020 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिलाा सीकर द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.2017 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलांट् खारिज फरमायी जावे।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट् के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य मुख्य विवाद खसरा नम्बर 200 वाकै ग्राम मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना जिला सीकर से संबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष अपीलांट् के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि पुराने खसरा नम्बर 671 रकबा 5.41 है0 तन ग्राम मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी (वर्तमान अपीलांट) जमाबंदी में अंकितानुसार हिस्सेदार खातेदारी काश्तकार है। नये सेटलमेंट के दौरान भूमि खसरा नम्बर 671 के नये खसरा नम्बर 200 कायम किये गये किन्तु पुराने खसरा नम्बर 671 के रकबे 5.41 है0 के स्थान पर रकबा 2.32 है0 कम दर्ज कर दिया गया जबकि भूमि का कुल क्षैत्रफल 5.41 है0 रहा है एवं मौके पर यही स्थिति रही है। इसलिये पुराने भूमि खसरा नम्बर 671 के नये खसरा नम्बर 200 के क्षैत्रफल 2.32 है0 के स्थान पर पुराने खसरा नम्बर 671 के अनुसार क्षैत्रफल 5.41 है0 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे। अपीलांट् के उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार नीमकाथाना ने अपने पत्रांक भू0अ0/16/3947 दिनांक 30.8.2016 के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में प्रस्तावित किया की पुरानी जमाबंदी ग्राम मावण्डा कलां सं0 2057–60 के खाता संख्या 187 में खसरा नम्बर 671 रकबा 5.41 है0 खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं। नवीन भू–प्रबंध मिसल बंदोबस्त सम्वत 2065–85 में उक्त खसरा नम्बर 671 के नवीन खसरा नम्बर 200 कायम किये गये जिसका रकबा 2.32 है0 दर्ज किया गया हैं जो मूल रकबे से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

3.09 है कम दर्ज हुआ है। प्रार्थी के उक्त भूमि की क्षर्तिपूर्ती पुराना खसरा नम्बर 677 के हाल खसरा नम्बर 194 रकबा 2.02 है0, खसरा नम्बर 203 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.64 है0, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 209 रकबा 0.13 है0 कुल किता 5 रकबा 2.98 है0 जो कि वर्तमान रिर्काड में सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी प्रार्थीगण के पक्ष में दर्ज की जाकर क्षतिपूर्ती की जा सकती है। तहसीलदार नीमकाथाना की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना से प्रकरण में पुनः रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर ने अपने पत्रांक भू0अ0/17/3753 दिनांक 29.06.2017 के द्वारा प्रेषित दुसरी रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम मावण्डा कलां प्रथम सैटलमेंट के खसरा नम्बर 671 एवं द्वितीय सैटलमेंट के खसरा नम्बर 200 का रकबा बरारी करने पर उक्त दोनो ही खसरा नम्बरान का क्षैत्रफल 2.32 है0 आता हैं। उक्त रिपोर्ट पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.2017 पारित करते हुये अपने निर्णय में अंकित किया गया कि पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 6.12.2017 में पुराना खसरा नम्बर 671 व नया खसरा नम्बर 200 का रकबा बरारी करने पर समान रकबा 2'.32 है0 होना बताया है जब रकबा बरारी करने पर समान पाया जाता है तो क्षतिपूर्ति किये जाने का सवाल ही पैदा नही होता है। दूसरी और क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि पडत व उबड खाबड है एवं जिसकी किस्त भी सिवायचक दर्ज रिकार्ड हैं। राजकीय भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते हैं। इस प्रकार प्रस्तावित भूमि के खातेदारी अधिकार प्रार्थी (वर्तमान अपीलांट) के पक्ष में दिया जाना उचित नही समझते हुये प्रार्थी (वर्तमान अपीलांट्) का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने के आदेश दिये गये। दौराने सुनवाई भी अपीलांट द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड पेश नही किया है जिससे अपीलांट् का उक्त विवादित भूमि पर कभी कब्जा काश्त होना पाया जाता हो। उपरोक्त विवेचन से यह प्रतित होता है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.2017 पारित किया है। हम अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट् सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.2017 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

9. निर्णय आज दिनांक 16.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner